भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1159

जिसका उत्तर सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण

†1159. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके तहत स्वीकृत किए गए ऋणों की कुल संख्या कितनी है और साथ ही वितरित की गई कुल राशि कितनी है;

(ख) महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लाभार्थियों को स्वीकृत किए गए ऋणों का प्रतिशत कितना है तथा समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) इस योजना के तहत मुख्य रूप से किन क्षेत्रों और किस प्रकार के व्यवसायों को सहायता प्रदान की गई है;

(घ) ऐसे खातों की कुल संख्या कितनी है जो गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन गए हैं या जिनमें चूक हुई है और ऋणों की वसूली के साथ-साथ संघर्षशील उद्यमियों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) स्टैंड अप इंडिया के लाभार्थियों को कौशल विकास, मार्गदर्शन और वित्तीय साक्षरता सहायता प्रदान करने में क्या प्रगति हुई है;

(च) हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच उद्यमिता, रोजगार सृजन और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में योजना की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए क्या निगरानी और मूल्यांकन तंत्र लागू हैं; और

(छ) आगामी वित्तीय वर्ष में स्टैंड अप इंडिया योजना की पहुंच, ऋण के उपयोग और समग्र प्रभाव में सुधार के लिए क्या नई पहल या नीतिगत उपाय करने की योजना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत कुल 2,75,291 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, जून, 2026 तक कुल 41,517.68 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की जा चुकी है।

(ख): मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, योजना की शुरुआत से महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए गए ऋणों का प्रतिशत निम्नानुसार है:

श्रेणी	स्वीकृत ऋणों का प्रतिशत (%)
(क) महिलाएं (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलावा)	75%
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	25%
(i) (ख) में से महिलाएं	7%
कुल	100%

सरकार ने न्यायसंगत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यापक प्रचार अभियान, आवेदन पत्र का सरलीकरण, ऋण गारंटी, मार्जिन मनी में कमी, कृषि संबद्ध कार्यकलापों को शामिल करने वाली योजना शामिल हैं।

(ग): योजना की शुरुआत से ही व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, उसके बाद क्रमशः सेवाएँ, विनिर्माण और कृषि संबद्ध गतिविधियों को ऋण को ऋण दिए गए हैं। हालांकि, योजना के अंतर्गत समर्थित व्यवसायों के प्रकार से संबंधित आंकडों का रख रखाव केंद्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

(घ): जून, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, योजना की शुरुआत से कुल 11,204 खातों को गैर-निष्पादित ऋण खातों के रूप में सूचित किया गया है।

ऋण की वसूली करते समय संघर्षरत उद्यमियों का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:-

i. नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और ग्राहकों से संपर्क की आवृत्ति में वृद्धि।
ii. ऋणों का पुनर्निर्धारण/पुनर्गठन।
iii. लोक अदालतों के माध्यम से निपटान।
iv. पात्र खातों का पुनर्गठन और एकमुश्त निपटान (ओटीएस)।

(ङ): यह योजना मार्च, 2025 माह तक वैध/प्रभावी थी। स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल ने संभावित उद्यमियों को बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रशिक्षण से लेकर ऋण आवेदन भरने तक व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के उनके प्रयास में मार्गदर्शन प्रदान किया।

8000 से अधिक हैंडहोल्डिंग एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से, इस पोर्टल ने संभावित उधारकर्ताओं को विशिष्ट विशेषज्ञता वाली विभिन्न एजेंसियों जैसे कौशल केंद्र, मेंटरशिप सहायता, उद्यमिता विकास कार्यक्रम केंद्र, जिला उद्योग केंद्र से जोड़ने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन की सुविधा प्रदान की।

(च) और (छ): योजना के कार्य निष्पादन की निगरानी/समीक्षा जिला समन्वय समिति (डीसीसी), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति (एसएलआईसी) एवं अन्य हितधारकों जैसे विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर की गई है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए एक स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन संबंधी अध्ययन किया गया था। योजना का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान डीएमईओ, नीति आयोग के माध्यम से किया गया था। अध्ययन के अनुसार, प्रति उद्यम औसतन 4 व्यक्तियों का रोजगार सृजित हुआ है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना के मौजूदा लाभार्थियों को हैंड-होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जैसे की बैंक उद्यमों के ऋण संबंधी कार्य निष्पादन और स्थिरता की नियमित निगरानी करने के साथ-साथ जहां भी आवश्यक हो, वित्तीय सलाह भी प्रदान करते हैं।
